

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 17/2022

तारीख दायर 12/2022

नरेश पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. नन्दू बाई पत्नि शम्भूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. पन्नालाल पुत्र खाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. छितरलाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 23-2-2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 101 पर अंकित आराजी संख्या 67/2 रकबा 0.3723 हैक्टेयर भूमि शामलाती में है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाखुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 101 पर अंकित आराजी संख्या 67/2 रकबा 0.3723 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
उपरगण बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा